FORM-II (For projects other than linear projects) Government of H.P.

Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2020-643-644

Dated: 6-10-2020

26

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **00-45-50 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Nagar Panchayat, Narkanda for construction of Ice Skating Rink in Jungal Hawan (proposed for diversion of forest land) in Shimla District Falls within jurisdiction of Mauja Jungal Hawan (Madhawani) Tehsil Kotgarh, District Shimla, Himachal Pradesh.

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 00-45-50 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure -A to annexure B.

The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.

Each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/process under FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion.

- (d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA.

(Amit Kashyap)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 ग्राम सभा...... प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

प्राप्ताव की बैठक आज दिनांक 16-07-2011

की अध्यक्षता में की अध्यक्षता के अध्यक्षता में की अध्यक्षता के अध्यक्षता में की अध्यक्षता के विभाग द्वारा

अधिकारों के मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अध्यान आपि जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें के विभाग द्वारा अधिकारों के निर्माण के किए दावे हेतू ग्राम सभा की वन अधिकारों के के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:—

क्राप्ताव संख्या

के अध्यक्षता में की अध्यक्षता में के आवदेनों पर चर्चा की उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:—

क्राप्ताव संख्या

के अध्यक्षता में की अध्यक्षता में की अध्यवन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:—

क्राप्ताव संख्या

क्णसं का नाम जंगल का नाम र्नेम्स्त भारत वासी का नाम र्नेम्स्त भारत वासी का वाम र्नेम्स्त भारत वासी का वाम

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों की पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को

उपराक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया :--

क०सं०

*पात्र गांव वासी का नाम

-NA-

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों का निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार रेला निज्ञा जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान मिंधावनी दिनांक 16-97-17

ROBAGIO AS

16.08.77

JIPE HALOCK NARKANDA, SHIMLA, H.P.

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग को अनुमति दी जानी है। CHIM

अनुस्चित जनजाति और अन्य परम्परगत बन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन अधिकार समिति प्राम सभा......पतिलिपी प्रस्ताव

			दिनांक	
प्रस्ताव संख्या 🕒 🗘	0		H = 5010	
वन अधिकारी समिति ग्राम सभा जिल्ला को 11.00 बजे स्थान ग्राप्त प	गतनी की बै	ठक आज दिनांक	67-01-2018	
ने 11.00 जने कान गांप पे	अर्गवनीमें	गिं/ श्रीमति	1217 01101	
न व्याप्ता में की गर्र जिसमें		गांव की अनुसूचित	जनजाति और अन्य	
को 11.00 बज स्थान (113) प की अध्यक्षता में की गई जिसमें पू	माना अधिनियम	2006 के अन्तर्गत.	ेला गिरु पाट	1)
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारा के जगल / वन क्षेत्र में (जिसमें ति.पृ० नी	के किया हारा	**3	115 x on 1251 2	1001
के निर्माण के लिए वा 45 हैक्टेयर वन	कि के जागोग की मं	जरी गर्जातित है।)वन अधिकारों के लिए	
दावे हेतू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधि	नून के उपयोग की न	नर्ना की गर्द । व	न अधिकारों के प्रस्तावो	
के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा	विकास पर विकास सह	र्म के खपरान्तं वर	न अधिकार समिति सभा	
हारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुर	पत् वर वर्षा पत्	11 47 01 (1 4		
हारा निम्न लिखित पात्रा का दापा नियमानुर	तार सहा पाया गया-			
क0 र १० *पात्रं गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अ	ाधिकार का व्यौरा	
- द्वांजा	<u>होज</u> ा	_		
2				

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क०सं०


*पात्र गांव वासी का नाम हाञा

वदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

का जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....



जिल्हाः स्मीन्यम्। वन अधिकारी समिति

- * ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए अवेदन किया है।
- ** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

			Annexture-V	
नुसूचित जनजाति	और अन्य परम्परगत वन निवासी	(वन अधिकारों की मान	यता) अधिनियम, 2006	
ग्राम सभा विकास खण्ड	अस्ति नी ना (अक्षेत्र) जिला	<u>क्रिक्र</u>	(feogo)	
		स्ताव 🗕 🔟		
गणपूर्ति	39 /,299		दिनांक ० म । २० ८ प्रस्ताव संख्या । ०	
विषयः — 1312 ए कं निर्माण में प्रस्तावित : की मंजूरी के लिए सहमा	हेतू ट्रि.	सस्था को उनाई	साक रिंग रिका जंगल / वन १ हैक्टेयर वन भूमि के उपय	 भेत्र गोग
ग्राम सभ ० े ग्रा २०१ (को	मा अप्राधिका स्थान संस्था को क्लाइस्ति दिव में प्रस्तावित	ञ्चार्था के निर्माण के निर्माण हैक्ट्रेयर वन ३	्वा बैठक आज दिनांव की गई जिसमें हतू हो जी मूमि के उपयोग की मजूरी	5 विसाम् के
सभी ग्रामवार्ग तरह समझने के बाद सर्व र दिए जाने पर सहमत है।	सेयों ने संबधित वन भूमि के नम्मति से यह निर्णय लिया वि	प्रस्तावित कार्य हेतू के यह ग्राम सभा उप	उपयोग के उद्देश्यों को रोक्त प्रस्ताव के लिए वन	पूरी भूमि
सम्बन्धित कार्य न	अनुसूचित जनजाति और अनतर्गत वन अधिकारों के गया कि उपरोक्त अधिनिय जिल्ला रही है/ कर ली है त	म के अन्तर्भ -	र ना पया का गइ तथा	की सर्व नटारं वन की
यान भट्यावनी	FRADHAN GRAM PA	ANCHAYAT MADHAWA KNAAYADA, SHINZA	18 /18 /18	